यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **जिला** परिवीक्षा **अधिकारी बागेश्वर,** उत्तराखंड**,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला** परिवीक्षा **अधिकारी बागेश्वर** उत्तराखंड**,** के माह 04/2015 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि पाठक सहायक लेखापरीक्षा, श्री सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23/03/2018 से 27/03/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अश्वनी पाण्डेय एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, द्वारा दिनांक 27-04-2015 से 08-05-2015 तक श्री दनिश इकबाल लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1 (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ईकाई द्वारा सामाजिक कल्याण से संबन्धित योजनाओ का संचालन करना। ईकाई द्वारा कन्याधन योजना, 2 विधवा पेंशन योजना 3 परितता पेंशन 4 राजकीय आश्रम पद्दद्ति विदधयाल इत्यादि योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसमे बागेश्धर जिले के तीन ब्लाक शामिल है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2014-15			46.49	36.63	886.20	884.57	9.86	1.63
2015-16	-	-	43.70	42.17	1031.88	1011.24	1.53	20.64
2016-17	-	-	40.43	39.69	918.44	918.35	0.74	0.09
2017-18 up to 02/18	-	-	49.04	48.14	687.60	681.23	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	-	-	-	-	17.68	17.68	-	-
2016-17	-	-	-	-	19.26	19.25	-	0.01
2017-18 up to 02/18	-	-	-	-	25.18	25.18	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी □सी□ है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1॰ सचिव ,समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन 2. निदेशक समाज कल्याण विभाग 3॰ जिला परिवीक्षा अधिकारी।

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला** परिवीक्षा **अधिकारी बागेश्वर** की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला** परिवीक्षा **अधिकारी बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनितकिया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

1. कन्याधन योजना, 2 विधवा पेंशन योजना 3 परितता पेंशन 4 राजकीय आश्रम पद्वद्ित्त विदधयाल

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर 1:- विभाग द्वारा वितरित की गई विधवा पेंशन की धनराशि ₹ 11.61 लाख का अनियमित भुगतान|

कार्यालय जिला प्रोवेशन अधिकारी वागेश्वर के निराश्रित विधवाओ व उनके बच्चो के भरण पोषण एव शिक्षा आदि की व्यवस्था से संबन्धित पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच मे पाया की शासनादेश संख्या 548/XVII-2/2016-10(06)2016 दिनांक 20-5-2016, शासनादेश संख्या -1295/XVII-02/2016-10(06)2016 दिनांक 31-8-2016 एव शासनादेश संख्या -1515/XVII-2/2016-10(06)2016 दिनांक 13-12-2016 एव शासनादेश संख्या -126/XVII-2/2017-10(06) दिनांक 10-2-2017 के क्रम मे वित्तीयवर्ष 2016-17 के आय-व्ययक द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबन्धित अनुदान संख्या -15 आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि मे से निराश्रित विधवाओ के भरणपोषण तथा उनके बच्चो को शिक्षा आदि की ब्यवस्था हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या -183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-3-2012 मे दिये गए निर्देशानुसार पूर्व मे आवंटित बजट के अतिरिक्त कुल आवंटित ₹ 93750000/-मे से जनपद बागेश्वर को ₹ 19387000/- इस प्रकार, उक्त वर्ष के दौरान कुल ₹ 50200000/- (19387000+30813000) की धनराशि जनपद को आवंटित किया गया था। विभाग द्वारा विधवा पेंशन अनुदान संख्या -15 मे वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की निंम्नलिखित धनराशि दर्शयी है जिसका विवरण निंम्न है

वर्ष	लाभार्थियों की कुल संख्या		अंश (धनराशि में)		व्यय		कुल व्यय
2016-17	राज्यान्श	केन्द्रान्श	राज्यान्श	केन्द्रान्श	राज्यान्श	केन्द्रान्श	
	3788	401	700	300	502.00	12.30	514.30

विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 मे कुल व्यय ₹ 514.30 लाख दर्शाया गया है जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान कुल लाभार्थियो की संख्या के आधार पर निम्न अनुसार व्यय किया जाना चाहिये था जिसकी गणना इस प्रकार है

वर्ष	लाभार्थियों की कुल संख्या		अंश		व्यय		कुल व्यय
2016-17	राज्यान्श	केन्द्रान्श	राज्यान्श	केन्द्रान्श	राज्यान्श	केन्द्रान्श	
	3788	401	700	300	488.24	14.43	502.68

अतः जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त लाभार्थियो की संख्या के आधार पर वर्ष 2016-17 मे धनराशि ₹ 502.68 लाख का व्यय किया जाना चाहिये था जबकि विभाग द्वारा उक्त योजना हेतु धनराशि ₹ 514.30 लाख का भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप धनराशि ₹ 11.61 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

संप्रेक्षा द्वारा उक्त धनराशि ₹ 11.61 लाख के अधिक भुगतान के संदर्भ मे इकाई से पूछने पर इकाई द्वारा बताया गया की उक्त प्रकरण मे जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

विभाग के उत्तर से स्वतः तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ो (लाभार्थियो की संख्या एवं वितरण से) से स्वयं स्पष्ट है की विभाग द्वारा विधवा पेंशन योजना के रूप मे धनराशि ₹ 11.61 लाख का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया है।

अतः धनराशि ₹ 11.61 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1:-** 297 बालिकाओ का गौरादेवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित रहना।

कार्यालय जिला प्रोवेशन अधिकारी वागेश्वर मे सामान्य जाति के गौरादेवी कन्या धन योजना वर्ष 2015-16 के दौरान वितरित की गई धनराशि से संबन्धित पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच मे पाया कि शासनादेश संख्या-61/XVII-4/2016-10(33)/2014 दिनांक 13-2-2017 के क्रम मे वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबन्धित अनुदान संख्या -15 आयोजनागत अन्तर्गत पक्ष के प्रविधानित धनराशि मे से गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-3-2012 मे दिये गये निर्देशानुसार कुल आवंटित धनराशि ₹ 52015000/- मे से जनपद वागेश्वर के लिए गौरादेवी कन्या धन योजना के अंतर्गत ₹ 211-00 लाख आवंटित गई थी|

वर्ष 2016-17 मे सामान्य जाति की बालिकाओ को गौरादेवी कन्या धन के अंतर्गत 50000/- प्रति कन्या के हिसाब से चयन किया गया था| जिसके सापेक्ष कन्याधन योजना के अंतरगत शासन/निदेशालय से प्रथम किस्त के रूप मे र 211-00 लाख प्राप्त हुए थे जिसमे से 422 बालिकाओ को ₹ 50000/- प्रति के हिसाब से धनराशि वितरित कर दी गई| इसके उपरांत शासन/निर्देशालय से द्वातीय किस्त के रूप ₹ 61-00 लाख प्राप्त हुए थे जिसमे से केवल 122 बालिकाओ को लाभान्वित किया जा सका| शेष 297 (841-544) बालिकाओ को धनराशि ₹ 14850000/- वितरित किया जाना अवशेष है |

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विहगग ने अपने उत्तर मे बताया कि शासन से 841 बालिकाओ को ₹ 50000/- प्रति के हिसाब से ₹ 420=00 लाख कि मांग की गई थी जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप मे र 211-00 लाख तथा द्वातीय किस्त के रूप मे ₹ 61-00 लाख कुल ₹ 272-00 लाख प्राप्त हुए जिन्हे 544 बालिकाओ को ₹ 272-00 लाख वितरित किया गया था| अबशेष 297 बालिकाओ को धनराशि वितरित करने हेतु माह 02/2018 मे ₹ 148.50 लाख कि मांग की गई| शासन से बजट प्राप्त होने पर धनराशि वितरित कर दी जाएगी| विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं क्योकि बजट 02/2017 मे प्राप्त हुआ था इसके उपरांत एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बजट की मांग की गई है |

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- धनराशि ₹ 55000/- विभाग के पास अवरूद पड़ी रहना |

कार्यालय जिला प्रोवेशन अधिकारी बागेश्वर की निराश्रित विधवाओ के भरणपोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि से संबन्धित पत्रावली की जांच मे पाया की वर्ष 2016-17 मे शासनादेश संख्या -558/XVII-02/2016-10(06)2016 दिनांक 20-5-2016 शासनादेश संख्या /1295/XVII-2/2016 (06)/2016. दिनांक 31-8-2016 एव शासनादेश संख्या -1515/XVII-2/2016-10(06)2016 दिनांक 13-12-2016 एव शासनादेश संख्या -126/XVII-02/2017-10 (06)/2016 दिनांक 10-2-2017 के क्रम मे वितीय वर्ष 2016-17 के आय -व्ययक द्वारा समाज कल्याण विभाग से संवन्धित अनुदान संख्या 15 आयोजनेतर पक्ष के अन्तरगत प्रावधानित राशि मे से निराश्रित विधवाओ के भरणपोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या 183/XVII(1)/2016 दिनांक 28-3-2012 मे दिये गए निर्देशानुसार कुल आवंटित धनराशि मे से जनपद बागेश्वर के लिए ₹ 19387000/- आवंटित किया तथा पूर्व मे भी धनराशि ₹ 30813000/- वितरण हेतु आवंटित की गई थी जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा उक्त वर्ष के दौरान ₹ 50199400/- विधवा पेंशन के रूप मे वितरित की गई| वर्ष 2016-17 के दौरान वितरित की गई विधवा पेंशन निम्नलिखित बैंको ने चेक के माध्यम से निम्न धनराशि दिनांक 17-01-17 के द्वारा समाज कल्याण विभाग वागेश्वर को वापस की है| जिसका विवरण निम्न है |

दिनांक 17-01-2017 को विधवा पेंशन योजनान्तर्गत बैंको से प्राप्त धनराशि का विवरण|

क्र0 सं0	बैंक का नाम	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
1.	जिला सहकारी बैंक वागेश्वर	0003224	17.01.17	₹ 9000/-
2.	जिला सहकारी बैंक वागेश्वर	0003122	17.01.17	₹ 2600/-
3.	पोस्टमास्टर अल्मोड़ा	545520	13.01.17	₹ 3000/-
4.	भारतीय स्टेट बैंक वागेश्वर	884770	13.01.17	₹ 3000/-
5.	पोस्टमास्टर अल्मोड़ा	009817	28.11.17	₹ 3000/-
6.	भारतीय स्टेट बैंक वागेश्वर	583932	26.12.17	₹ 31400/-
7.	पोस्टमास्टर अल्मोड़ा	007933	26.02 18	₹ 3000/-
योग				**₹ 55000/-**

उक्त धनराशि ₹ 55000/- लेखापरीक्षा अबधि तक विभाग के पास अबरूद पड़ी थी सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि धनराशि यथाशीघ्र चालान द्वारा जमा कर दी जाएगी|

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है |

STAN

प्रस्तर 3:- विभाग द्वारा व्यय कि धनराशि ₹ 7.78 लाख अधिक दर्शायी जाना|

कार्यालय जिला प्रोवेशन अधिकारी वागेश्वर के परिव्यक्ता पेंशन संबन्धित पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच मे पाया कि वर्ष 2016-17 मे परितयकता पेंशन के अंतरगत पूर्व से पेंशन पा रहे कुल 317 लाभार्थियों को द्वातीय एव त्रतीय किस्त का भुगतान एव पोस्टऑफिस भराडी मे 08 लाभार्थीयों को मिलाकर द्वातीय, त्रतीय एव चतुर्थ किस्त का भुगतान लाभार्थीयों को बैंक/पोस्टऑफिस मे खोले गये खातो मे चेक के मधाम से भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। परितयक्ता पेंशन की प्रथम, द्वातीय, त्रतीय एव चतुर्थ किस्त मे वितरित की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है|

किस्तवार	कुल प्राप्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	अवशेष	कुल अंतर
वर्ष 2015-16 अवशेष धनराशि	₹ 1.31 लाख	₹ 1.31 लाख	शून्य	शून्य
प्रथम किस्त	₹ 5.294 लाख	₹ 5.294 लाख	शून्य	शून्य
प्रथम किस्त	₹ 10.00 लाख	₹ 2.62 लाख	शून्य	₹ 7.38 लाख
द्वातीय किस्त पूर्व का अवशेष	₹ 9.22 लाख	₹ 9.21 लाख	शून्य	₹ 0.01 लाख
त्रतीय एव चर्तुथ किस्त	₹ 19.99 लाख	₹ 19.6 लाख	₹ 0.73 लाख	₹ 0.39 लाख
कुल योग	₹ 45.814 लाख	₹ 38.034 लाख	₹ 0.73 लाख	₹ 7.78 लाख

उक्त पूर्व वर्षो का अवशेष प्रथम, द्वातीय, त्रतीय एव चतुर्थ किस्त मे आवंटित धनराशि का कुल योग ₹ 45.814 लाख के सापेक्ष विभाग द्वारा ₹ 38.034 लाख का भुगतान किया| तथा अवशेष ₹ 0.73 लाख दर्शया जबकि गणना करने पर अंतर ₹ 7.78 लाख आता है| विभाग द्वारा त्रतीय एव चतुर्थ किस्त आवंटन के सापेक्ष व्यय र 19.26 लाख के स्थान पर ₹ 19.6 लाख दर्शया| इस प्रकार अंतर ₹ 7.78 लाख का आया|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि जांच के उपरांत अवगत करा दिया जाएगा| अतः ₹ 7.78 लाख अधिक दर्शाये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है|

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
08/2014-15	1	1	1
योग	01	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विवरण पत्रावाली मे सलग्न है				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

□शून्य□

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला** परिवीक्षा **अधिकारी बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री नन्दन सिंह घसियाल	जिला परिवीक्षा अधिकारी	(विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला** परिवीक्षा **अधिकारी बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.